[2022] 16 एस. सी. आर 399

/

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड v.

मध्य प्रदेश राज्य (2021 की सिविल अपील संख्या 7697) 04 जनवरी, 2022

/

[न्यायमूर्ति एम**.** आर**.** शाह और न्यायमूर्ति बी**.** वी**.** नागरत्ना।**]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1966 -धारा 12 (5) आर/डब्ल्यू सातवीं अनुसूची-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015-अपीलार्थी ने धारा 12 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की।14 आर/डब्ल्यू एसएस।11 & 15 मध्यस्थता अधिनियम, 1966 के मूल रूप से गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने की मांग करते हुए जिसे "स्टेशनरी खरीद समिति" कहा जाता है, इस आधार पर कि समिति में प्रत्यर्थी के अधिकारी शामिल थे और इस तरह स्वयं को मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य बना दिया था।12(5) सातवीं अनुसूची के साथ पढ़ा गया-याचिका में एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया-उच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधन अधिनियम, 2015 जिसमें अनु.12(5) ई. एफ. प्रभावी था और पहले से शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में पूर्वव्यापी संचालन नहीं हो सकता था जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों और इसलिए जब वर्तमान मामले में मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले किया गया था और मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपनी कार्यवाही शुरू की थी,धारा 12 (5) लागू नहीं थी-आयोजितःमध्यस्थ न्यायाधिकरण-लेखन सामग्री खरीद समिति में प्रतिवादी-राज्य के अधिकारी शामिल थे-इसलिए, संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार-धाराओं की उप-धारा (5)।12 आर/डब्ल्यू सातवीं अनुसूची, वे सभी मध्यस्थ बनने और मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो गए -धारा 12 को विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था, जो विशेष रूप से "मध्यस्थों की तटस्थता" के मुद्दे से निपटता है-प्रावधान में संशोधन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात्, धाराओं की उप-धारा (5) में "मध्यस्थों की तटस्थता" का प्रावधान करना।12 यह निर्धारित करता है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद की विषय वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप अंतर्गत नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा-ऐसी स्थिति अंतर्गत , यानी जब मध्यस्थता खंड संशोधित प्रावधान के साथ अनुचित पाया जाता है,

/

/

/

/

/

/

399 ए.

400 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते के दायरे से परे होगी, जो न्यायालय को ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार देती है जिसकी अनुमति हो-यह धाराओं की उप-धारा (5) में निहित गैर-बाधा खंड का प्रभाव होगा।12 और दूसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है-वर्तमान मामले में, प्रतिवादी-राज्य के अधिकारियों से युक्त स्टेशनरी खरीद समिति-मध्यस्थ न्यायाधिकरण सभी धाराओं की उप-धारा (5) के अधिदेश को देखते हुए मध्यस्थ बनने और/या बने रहने के लिए अयोग्य थे।12 आर/डब्ल्यू सातवीं अनुसूची-ऐसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए।

/

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:1.1.**वर्तमान आवेदन को उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम**, 1966** की धारा **11** और **15** के साथ पठित धारा **14** को लागू करते हुए मूल रूप से गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने और एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रस्तुत किया गया था।चाहे जो भी हो**,** अधिनियम यह है कि वर्ष **2001** में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बाद**,** मध्यस्थता कार्यवाही में आगे कोई कदम नहीं उठाए गए और इसलिए तकनीकी रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण**-**लेखन सामग्री खरीद समिति द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही शुरू की गई थी।**[**पैरा **6] [408-**ई**-**एच**]**

/

/

1.2.मध्यस्थ न्यायाधिकरण**-**लेखन सामग्री खरीद समिति में प्रतिवादी**-**राज्य के अधिकारी शामिल थे।इसलिए**,** सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा **12** की संशोधन अधिनियम**,** **2015-**उप**-**धारा **(5)** के अनुसार**,** वे सभी मध्यस्थ बनने और मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो गए हैं।धारा **12** को विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधन अधिनियम**,** **2015** द्वारा संशोधित किया गया है**,** जो विशेष रूप से "मध्यस्थों की तटस्थता" के मुद्दे से संबंधित है।प्रावधान अंतर्गत संशोधन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए**,** अर्थात् "मध्यस्थों की तटस्थता" का प्रावधान करने के लिए**,** धारा **12** की उप**-**धारा **(5)** अंतर्गत कहा गया है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद**,** कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद की विषय वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है**,** वह 'क' होने के लिए अयोग्य होगा।

/

/

/

401

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए

मध्यस्थ के रूप में नियुक्त।ऐसी स्थिति में**,** अर्थात**,** जब मध्यस्थता खंड संशोधित प्रावधान के साथ अनुचित पाया जाता है**,** तो मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते के दायरे से परे होगी**,** जिससे न्यायालय को ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार होगा जिसकी अनुमति हो।यह धारा **12** की उप**-**धारा **(5)** में निहित अबाधित खंड का प्रभाव होगा और दूसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है।इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में**,** सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा **12 (5)** को देखते हुए सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी के कर्मचारियों ने विधि के संचालन द्वारा अपना अधिदेश खो दिया है।**[**पैरा **7] [409-**ए**-**ई**] 1.3**।सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश को पक्षों के बीच विवाद पर निर्णय लेने/हल करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।**[**पैरा **11] [419-**एफ**]**

/

/

टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम एनर्जी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

(2017) 8 एससीसी 377:[2017] 7 एससीआर 409 और भारत

/

ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड

(2019) 5 एससीसी **755:[2019] 6** एस**.** सी**.** आर**. 97-**पर निर्भर।

वायस्टाल्पाइन शियनन जी. एम. बी. एच. बनाम दिल्ली मेट्रो रेल

निगम लिमिटेड (2017) 4 एस. सी. सी. 665:[2017] 1 एससीआर

798; अरावली पावर कंपनी पावर लिमिटेड बनामएरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग **(2017) 15** एस**.** सी**.** सी**. 32;** इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम**.**राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड **(2009) 8** एससीसी **520:[2009] 13** एससीआर **510;** एसीई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स **(**पी**)** लिमिटेड बनाम।भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड **(2007) 5** एस**.** सी**.** सी**. 304:[2007] 4** एससीआर **777;** भारत संघ बनाम एम**.** पी**.** गुप्ता **(2004) 10** एससीसी **504;** भारत संघ बनाम परमार

/

/

निर्माण कंपनी (2019) 15 एस. सी. सी. 682:[2019] 5 एससीआर

1009; भारत संघ बनाम प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन

कं. (2020) 2 एससीसी 464:[2012] 17 एस. सी. आर. 64; एस. पी. सिंगला

कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बनामहिमाचल प्रदेश राज्य

(2019) 2 एससीसी 488:[2018] 14 एससीआर 1005; कार्यकारी

/

इंजीनियर, सिंचाई प्रभाग, पुरी बनाम गंगाराम छापोलिया (1984) 3 एस. सी. सी. 627; सचिव, सरकारी परिवहन विभाग, मद्रास बनाम मुनुसामी मुदलियार

(1988) मान लीजिए एससीसी **651:[1988] 2** पूरक।एससीआर **673;**

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाम के**.** डी**.** बाली **(1988) 2**

/

एससीसी 360:[1988] 3 एस. सी. आर. 370; एस. राजन बनाम केरल राज्य (1992) 3 एस. सी. सी. 608:[1992] 3 एससीआर 649; भारतीय

ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बनाम इंडो-स्विस सिंथेटिक्स जर्म

विनिर्माण कंपनी लिमिटेड (1996) 1 एस. सी. सी. 54:[1995] 5

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 180;** डेनेल **(**स्वामित्व**)** लिमिटेड बनाम**.**सरकार**.**

भारत, रक्षा मंत्रालय (2012) 2 एससीसी 759:[2012]

/

2 एससीआर **897;** बाइप्रोमाज़ बाइप्रोन ट्रेडिंग एसए बनाम भारत

इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (2012) 6 एस. सी. सी. 384:[2012] 5 एस. सी. आर. 743-संदर्भित।

जयपुर जिला दुध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बनाम

अजय सेल्स एंड सप्लायर 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 730-संदर्भित।

/

संदर्भित निर्णय

[2017] 7 एससीआर **409**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

[2009] 13 एससीआर **510**

संदर्भित

पैरा **2.6**

/

[2007] 4 एससीआर **777**

संदर्भित

पैरा **2.6**

[2012] 17 एससीआर **64**

संदर्भित

पैरा **2.6**

[2019] 5 एससीआर **1009**

संदर्भित

पैरा **2.6**

[2018] 14 एससीआर **1005**

संदर्भित

पैरा **2.6**

/

[2017] 1 एससीआर **798**

संदर्भित

पैरा **8**

संदर्भित

पैरा **8**

[2017] 7 एससीआर **409**

[1988] 2 पूरक।पैरा **8 [1988] 3** एस**.** सी**.** आर**. 370** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 673**

संदर्भित

पैरा **8**

/

[1992] 3 एससीआर **649**

संदर्भित

पैरा **8**

[1995] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 189** पैरा **8 [2012] 2** एस**.** सी**.** आर**. 897** को संदर्भित करता है।

संदर्भित

पैरा **8**

[2012] 5 एससीआर **743**

संदर्भित

पैरा **8**

/

[2019] 6 एससीआर **97**

पर विश्वास किया

पैरा **8.1**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2021 की सिविल अपील संख्या 7697।

/

403

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए

/

2019 के मध्यस्थता मामला संख्या 100 में जबलपुर में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 27.08.2021 से।

संदीप बजाज, सोइब कुरैशी, सुश्री विपुल जय, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

/

सनी चौधरी, नचिकेता जोशी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. ए. सी. न्यायालय न्यायालय न्यायालय

बुने हुए कागज और डुप्लिकेटिंग पेपर की आपूर्ति के लिए एक निविदा जारी की।अपीलार्थी ने उक्त निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और उसे दिनांक 22.09.1993 के आपूर्ति आदेश के माध्यम से अनुबंध प्रदान किया गया।अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाद पैदा हो गया।इसमें अपीलार्थी के अनुसार, हालांकि उसने प्रत्यर्थी को 420 मीट्रिक टन क्रीम बुने हुए कागज और 238 मीट्रिक टन डुप्लिकेटिंग पेपर की आपूर्ति की, लेकिन उत्तरदाता ने न केवल अनुबंध की शर्तों के अनुसार राशि का 90 प्रतिशत भुगतान नहीं किया, बल्कि बिना किसी औचित्य के कुछ खेपों को भी अस्वीकार कर दिया, जिससे उसे नुकसान हुआ।प्रतिवादी ने यहाँ दिनांकित 15.11.1993 पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि उसके द्वारा प्रदान किया गया कागज विनिर्देशन के अनुरूप नहीं था और इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था।

/

/

/

/

2.1 इसके बाद, अपीलार्थी ने वर्ष 1994 में भोपाल के दीवानी न्यायालय में प्रतिवादी के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा से राहत की मांग करते हुए एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जिसमें उसे किसी तीसरे पक्ष को आपूर्ति आदेश देने से रोकने की मांग की गई थी।इस बीच, प्रतिवादी ने शेष आपूर्ति के लिए तीसरे पक्ष को अनुबंध प्रदान किया।इसलिए, उपरोक्त दीवानी मुकदमा निष्फल हो गया।

/

2.2 इसके बाद अपीलार्थी ने सिविल मुकदमा संख्या 2-बी/1998 वाली Rs.95,32,103/- की राशि की वसूली के लिए एक और मुकदमा दायर किया।

/

भोपाल में सिविल न्यायालय ।उक्त मुकदमे में, प्रतिवादी ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अंतर्गत एक आवेदन को प्राथमिकता दी, जिसमें इस आधार पर कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई कि पक्षों के बीच समझौते में एक मध्यस्थता खंड मौजूद है।दीवानी न्यायालय ने दिनांक 27.02.1999 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण याचिका सं. 1117/1999 दायर की जिसे

उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 03.05.2000 आदेश के माध्यम से अनुज्ञात गई।उच्च न्यायालय ने पक्षकारों को प्रतिवादी के अधिकारियों की लेखन सामग्री खरीद समिति द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजा।

/

2.3 पुनरीक्षण याचिका को अनुमति देने और पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजने के उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष एस. एल. पी. (सिविल) सं. 13914/2000 वाली एक विशेष अनुमति याचिका दायर की।इसे 28.09.2000 दिनांकित आदेश के माध्यम से वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया।

/

2.4 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन "लेखन सामग्री खरीद समिति" के रूप में किया गया था जिसमें प्रतिवादी के अधिकारी शामिल थे।अपीलार्थी ने 12.09.2000 पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण/लेखन सामग्री खरीद समिति के गठन पर अपनी आपत्तियाँ दायर कीं।अपीलार्थी ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 13 के अंतर्गत एक आवेदन दायर करके अपने अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती दी।मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने दिनांक 2.2.2001 के आदेश के माध्यम से उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका सं. 1824/2001 के रूप में एक रिट याचिका दायर की, जिसे अपीलार्थी को उपयुक्त मंच के समक्ष आपत्तियां उठाने की स्वतंत्रता के साथ दिनांकित 24.01.2017 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

/

/

2.5 इसके बाद, अपीलार्थी ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 और 15 के साथ पठित धारा 14 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन दायर किया, जिसमें मूल रूप से गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण-स्टेशनरी खरीद समिति के अधिदेश को समाप्त करने की मांग की गई, जिसमें प्रतिवादी के अधिकारी शामिल थे और एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए।उच्च न्यायालय के समक्ष, इसमें अपीलार्थी ने मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 12 (5) पर बहुत अधिक भरोसा किया।उस पर निर्भर करते हुए

/

/

(2017) 8 एस. सी. सी. 377 में रिपोर्ट किए गए टी. आर. एफ. लिमिटेड बनाम एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत किया गया था

अपीलार्थी की ओर से कहा गया कि स्टेशनरी खरीद समिति का गठन करने वाले सभी पाँच अधिकारियों ने, जो प्रत्यर्थी के कर्मचारी थे, खुद को मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।यह प्रस्तुत किया गया था कि चूंकि वे मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो गए थे, इसलिए वे भी ए

/

405

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं कर सका।यह भी तर्क दिया गया कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के मूल सदस्य, जिन्होंने कार्यवाही शुरू की थी, तब से अपने-अपने पदों पर बने रहना बंद कर चुके थे, किसी भी मामले में, एक नए मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया जाना था और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के संदर्भ में एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति की आवश्यकता थी।

/

2.6 तथापि, के निर्णयों का उल्लेख करने और उन पर विचार करने के बाद

अरावली पावर कंपनी पावर लिमिटेड बनाम के मामलों में यह न्यायालय ।एरा इन्फ्रा इंजीनियरिंग, (2017) 15 एस. सी. सी. 32 में रिपोर्ट की गई; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम.राजा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, (2009) 8 एस. सी. सी. 520 में सूचित; एसीई पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स (पी) लिमिटेड बनामभारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन।लिमिटेड, (2007) 5 एस. सी. सी. 304 में रिपोर्ट किया गया; भारत संघ बनाम एम. पी. गुप्ता, (2004) 10 एस. सी. सी. 504 में रिपोर्ट की गई; भारत संघ बनाम परमार कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2019) 15 एस. सी. सी. 682 में रिपोर्ट की गई; भारत संघ बनाम प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2020) 2 एस. सी. सी. 464 में रिपोर्ट की गई; और एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्रा. लिमिटेड वी.हिमाचल प्रदेश राज्य,

/

(2019) 2 एस. सी. सी. 488 में सूचित किया गया है कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत करने से सहमत नहीं है।इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि संशोधन अधिनियम, 2015 को डब्ल्यू. ई. एफ. से प्रभावी बनाया जाएगा और पहले से शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही में पूर्वव्यापी संचालन नहीं हो सकता है जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों और इसलिए जब वर्तमान मामले में मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन संशोधन अधिनियम, 2015 से बहुत पहले किया गया था और मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने अपनी कार्यवाही शुरू की थी, तो संशोधन

अधिनियम, 2015-मध्यस्थता अधिनियम, 2016 की धारा 12 (5) लागू नहीं होगी।ऐसा देखते हुए, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 और 15 के साथ पठित धारा 14 के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह अपीलार्थी के लिए प्रतिवादी द्वारा लेखन सामग्री खरीद समिति के रूप में गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने के लिए खुला होगा।2.7 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल आवेदक ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

/

/

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संदीप बजाज ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश ने अपीलार्थी द्वारा धारा 14 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसे धारा 11 और 15 के साथ पढ़ा जाता है।

/

मध्यस्थता अधिनियम, 1996 इस न्यायालय के हाल के फैसले के बिल्कुल विपरीत है।

जयपुर जिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड बनाम अजय सेल्स एंड सप्लायर, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 730 के मामले में।इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है, सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अधिदेश को देखते हुए, वर्तमान मामले में गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण-प्रतिवादी के अधिकारियों से बनी लेखन सामग्री खरीद समिति ने अपना अधिदेश खो दिया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के मध्यस्थ न्यायाधिकरण को जारी रखना संशोधन अधिनियम, 2015 के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा, जिसके द्वारा सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) को जोड़ा गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया

गया है, धारा 12 को 'मध्यस्थों की तटस्थता' का प्रावधान करने के लिए संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है और इसे प्राप्त करने के लिए, धारा 12 की उप-धारा (5) में यह प्रावधान है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्ष या वकील या विवाद की विषय वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।

/

/

/

3.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया कि एक बार ठेकेदार ने दावे का बयान दायर करके मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया, उसके बाद उसके लिए धारा 12 की उप-धारा (5) का आह्वान करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना और एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति के लिए प्रार्थना करना खुला नहीं होगा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक और जब तक पूर्ववर्ती मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही को जारी रखने के लिए लिखित रूप में कोई स्पष्ट समझौता नहीं होता है, तब तक पूर्ववर्ती मध्यस्थता न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने और एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ऐसा आवेदन बनाए रखने योग्य होगा।

/

/

3.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में एक गंभीर त्रुटि की है कि स्टेशनरी खरीद समिति-मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो गई थी और अपीलार्थी ने भाग लिया था।यह आग्रह किया जाता है कि वर्तमान मामले में, लेखन सामग्री खरीद समिति-मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने रिट याचिका संख्या 1824/2001 में उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को देखते हुए मध्यस्थता कार्यवाही शुरू नहीं की, जो 4.5.2001 से 24.01.2017 तक संचालित थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में स्टेशनरी खरीद समिति-मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पहले के पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो गए थे और एक नए ए के गठन के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

/

/

मध्यस्थ न्यायाधिकरण।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि पूर्व मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही में कोई और कदम उठाए गए थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी मामले में सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) के अंतर्गत अधिदेश को देखते हुए, पूर्व मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों ने अपना अधिदेश खो दिया है और वे मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्यों के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हैं और इसलिए एक नए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाना है।

/

4. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नचिकेता जोशी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से जब पक्षकारों के बीच वर्ष 2000 में किए गए समझौते के अनुसार मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, तो उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए एक नया मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने से इनकार कर दिया है कि सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) जिसे संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा कानून में डाला गया है।

/

/

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, एक या दूसरे आधार पर, और एक के बाद एक कार्यवाही शुरू करके, अपीलार्थी ने पूर्व मध्यस्थ न्यायाधिकरण को मध्यस्थता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी।

4.2 यह आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश आक्षेपित आदेश में निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णय ों पर विचार करने के बाद एक सुविचारित आदेश है और इसलिए इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

/

4.3 प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निर्णय

/

जयपुर जिला दुध उत्पादक सहकारी संघ के मामले में इस न्यायालय के

सीमित (ऊपर) लागू नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त मामले में मध्यस्थ को मध्यस्थता अधिनियम, 2015 के संशोधन के बाद नियुक्त किया गया था।हालाँकि, वर्तमान मामले में, मध्यस्थ को उससे लगभग 20 साल पहले नियुक्त किया गया था और उसके बाद

मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू हुई और यहां तक कि अपीलार्थी ने भी भाग लिया।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम की संशोधित धारा 12 (5) जो 2015 में संशोधन के माध्यम से क़ानून में लाई गई है, पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 12 (5) को संभावित रूप से लागू करना होगा।

/

/

408

/

[2022] 16 एस सी आर।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पर विचार करने पर, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा प्रश्न उठाया जाता है, वह यह है कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी के अधिकारियों से युक्त लेखन सामग्री खरीद समिति-मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने जनादेश खो दिया है।यदि उत्तर सकारात्मक है, तो उस मामले में, क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अनुसार एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी है?6. यह विवाद में नहीं है कि उच्च न्यायालय ने पहले मध्यस्थ लेखन सामग्री खरीद न्यायाधिकरण समिति का गठन किया था, जिसमें प्रतिवादी के अधिकारी, अर्थात्, अतिरिक्त सचिव, राजस्व विभाग, अध्यक्ष के रूप में और (i) उप सचिव, राजस्व विभाग, (ii) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (iii) उप सचिव, वित्त विभाग, (iv) उप सचिव/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और (v) वरिष्ठ उप नियंत्रक, प्रधान कार्यालय, मुद्रण सदस्य के रूप में शामिल थे।यह सच हो सकता है कि पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण-लेखन सामग्री खरीद समिति का गठन पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार किया गया था।यह भी सच है कि शुरू में उक्त मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 में किया गया था, हालाँकि, उसके बाद मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपीलार्थी द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की संख्या को देखते हुए मध्यस्थता कार्यवाही शुरू नहीं कर सका।उच्च न्यायालय द्वारा 4.5.2001 से 24.01.2017 पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद वर्ष 2019 में, वर्तमान आवेदन को उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 और 15 के साथ पठित धारा 14 को लागू करते हुए मूल रूप से गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश को समाप्त करने और एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति करने की मांग की गई थी।यह भी रिकॉर्ड में आया है कि इस बीच, जो अधिकारी स्टेशनरी खरीद समिति-मध्यस्थ न्यायाधिकरण के सदस्य थे, वे सेवानिवृत्त हो गए थे।इस स्तर पर, हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि क्या उन व्यक्तियों को स्टेशनरी खरीद समिति-मध्यस्थ के सदस्यों के रूप में जारी रखा जा सकता था या नहीं।हालाँकि, तथ्य

यह है कि वर्ष 2001 में मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बाद, मध्यस्थता कार्यवाही में आगे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं और इसलिए तकनीकी रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण-लेखन सामग्री खरीद समिति द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हो गई है।

/

/

/

/

/

/

/

409

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

/

7. जैसा कि ऊपर देखा गया है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण-लेखन सामग्री खरीद समिति में प्रतिवादी-राज्य के अधिकारी शामिल थे।इसलिए, सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5)-संशोधन अधिनियम, 2015 के अनुसार, वे सभी मध्यस्थ बनने और मध्यस्थ के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो गए हैं।धारा 12 को विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, जो विशेष रूप से "मध्यस्थों की तटस्थता" के मुद्दे से संबंधित है।प्रावधान अंतर्गत संशोधन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, अर्थात् "मध्यस्थों की तटस्थता" का प्रावधान करने के लिए, धारा 12 की उप-धारा (5) अंतर्गत कहा गया है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद की विषय वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप अंतर्गत नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।ऐसी स्थिति में, अर्थात, जब मध्यस्थता खंड संशोधित प्रावधान के साथ अनुचित पाया जाता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते के दायरे से परे होगी, जिससे न्यायालय को ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार होगा जिसकी अनुमति हो।यह धारा 12 की उप-धारा (5) में निहित अबाधित खंड का प्रभाव होगा और दूसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है।इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में, सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) के अधिदेश को देखते हुए, प्रतिवादी-राज्य के अधिकारियों से युक्त लेखन सामग्री

खरीद समिति-मध्यस्थ न्यायाधिकरण सभी मध्यस्थ बनने और/या बने रहने के लिए अयोग्य हैं। इसलिए, विधि के संचालन और धारा 12 में संशोधन करके और सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की क़ानून उप-धारा (5) को लागू करके, पूर्ववर्ती मध्यस्थ न्यायाधिकरण-लेखन सामग्री खरीद समिति जिसमें अतिरिक्त सचिव, राजस्व विभाग अध्यक्ष के रूप में और (i) उप सचिव, राजस्व विभाग, (ii) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (iii) उप सचिव, वित्त विभाग, (iv) उप सचिव/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और (v) मुख्य कार्यालय के वरिष्ठ उप नियंत्रक, सदस्यों के रूप में मुद्रण, अपना अधिदेश खो चुके हैं और ऐसे मध्यस्थ न्यायाधिकरण को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के अनुसार एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति करनी पड़ती है।

/

/

/

/

/

/

8. इस न्यायालय द्वारा एक समान प्रश्न पर विचार किया गया

जयपुर जिला दुध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड का मामला

(ऊपर), और के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर विचार करने के बाद

/

पैराग्राफ 13,14 में टी. आर. एफ. (ऊपर) और इस मुद्दे पर अन्य निर्णय

और 15, यह निम्नानुसार मनाया और आयोजित किया जाता हैः“13. जहाँ तक याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन कि समझौता अधिनियम में सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) को शामिल करने से पहले किया गया था और इसलिए अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) के अंतर्गत अयोग्यता लागू नहीं होगी और एक बार मध्यस्थ-अध्यक्ष ने मध्यस्थता की कार्यवाही शुरू कर दी, जिसके बाद उच्च न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति में उचित नहीं है, संबंधित है कि उपरोक्त में कोई सार नहीं है और इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार किया जा सकता है।ऊर्जा।

/

/

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, (2017) 8 एस. सी. सी. 377; भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड, (2019) 5 एस. सी. सी. 755; वोएस्टाल्पाइन शियनन जी. एम. बी. एच. बनाम दिल्ली मेट्रो रेल

निगम लिमिटेड, (2017) 4 एस. सी. सी. 665।उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय के पास अधिनियम की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) को शामिल करने के उद्देश्य और उद्देश्य पर विस्तार से विचार करने का अवसर था। वोएस्टाल्पाइन शियेनन जी. एम. बी. एच. (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रावधान में संशोधन का मुख्य उद्देश्य 'मध्यस्थों की तटस्थता' का प्रावधान करना था।यह आगे देखा गया है कि इसे प्राप्त करने के लिए, धारा 12 की उप-धारा (5) अंतर्गत कहा गया है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद के विषय के साथ संबंध सातवीं अनुसूची अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप अंतर्गत नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।यह भी कहा गया है कि ऐसी स्थिति में, यानी जब मध्यस्थता खंड संशोधित प्रावधानों (सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5)) में गड़बड़ी पाता है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर होगी, जो न्यायालय को ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अधिकार देती है जिसकी अनुमति हो।यह आगे देखा गया है कि, यह धारा 12 की उप-धारा (5) में निहित अबाधित खंड का प्रभाव होगा और दूसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है।

/

/

/

/

14. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में आगे यह अवलोकन और अभिनिर्धारित किया गया है कि मध्यस्थ की स्वतंत्रता और निष्पक्षता किसी भी मध्यस्थता कार्यवाही की पहचान है। पक्षपात के खिलाफ नियम ए है

/

411

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों में से एक जो सभी न्यायिक और अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होता है।यह आगे देखा गया है कि यह इस कारण से है कि इस तथ्य के बावजूद कि पक्षकारों के बीच संबंध, मध्यस्थता और स्वयं मध्यस्थों के लिए संविदात्मक प्रकृति के हैं और मध्यस्थ की नियुक्ति का स्रोत पक्षकारों के बीच किए गए समझौते से निकाला जाता है, इसके बावजूद कि ऐसे मध्यस्थ की समान गैर-स्वतंत्रता और गैर-पक्षपात वह मध्यस्थता करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।यह आगे देखा गया है कि इस तर्क के पीछे की उत्पत्ति यह है कि जब एक मध्यस्थ को अनुबंध के संदर्भ में और अनुबंध के पक्षों द्वारा नियुक्त किया जाता है, तब भी वह पक्षों से स्वतंत्र होता है।पैराग्राफ 16 से 18 में इसे निम्नानुसार देखा और अभिनिर्धारित किया गया हैः

/

/

“16. अन्य संशोधनों के अलावा, धारा 12 में भी संशोधन किया गया था और संशोधित प्रावधान पहले ही ऊपर दोहराया जा चुका है।यह संशोधन विधि आयोग की उस सिफारिश पर भी आधारित है जिसमें विशेष रूप से 'मध्यस्थों की तटस्थता' के मुद्दे पर विचार किया गया था और इस संबंध में एक चर्चा पैरा 53 से 60 में निहित है और हम पूरी चर्चा को नीचे पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगेः

/

“कारीगरों की तटस्थता

/

53. यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि मध्यस्थता प्रक्रिया सहित कोई भी अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए।मध्यस्थता के संदर्भ में, मध्यस्थों की तटस्थता, अर्थात उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता, पूरी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

/

54. अधिनियम में, तटस्थता के लिए परीक्षण धारा 12 (3) में निर्धारित किया गया है जो प्रदान करता है -

‘12.(3) ”एक मध्यस्थ को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब **-**

(क) ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हैं।

/

55. अधिनियम उन "परिस्थितियों" की पहचान करने के लिए कोई अन्य शर्त निर्धारित नहीं करता है जो "उचित संदेह" को जन्म देती हैं, और यह स्पष्ट है कि ऐसी कई परिस्थितियाँ और परिस्थितियाँ हो सकती हैं।परीक्षण यह नहीं है कि क्या, परिस्थितियों को देखते हुए, इसके लिए कोई वास्तविक पूर्वाग्रह है जो सीमा को बहुत अधिक निर्धारित कर रहा है; लेकिन, क्या

/

412

/

[2022] 16 एस सी आर।

प्रश्न परिस्थितियाँ पक्षपात की किसी भी उचित आशंका को जन्म देती हैं।

56. इस प्रावधान की सीमाओं का परीक्षण भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य संस्थाओं के साथ अनुबंधों के संदर्भ में किया गया है, जिसमें विशेष व्यक्तियों/पदनामों (उस संस्था से जुड़े) को संभावित मध्यस्थ के रूप में नामित किया गया है।ऐसा प्रतीत होता है कि इसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा किया गया है (कार्यकारी अभियंता देखें,

/

सिंचाई प्रभाग, पुरी बनाम गंगाराम छापोलिया, (1984) 3 एस. सी. सी. 627; सरकारी परिवहन विभाग के सचिव,

मद्रास बनाम मुनुसामी मुदलियार, 1988 पूरक एस. सी. सी. 651;

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाम के. डी. बाली (1988) 2 एस. सी. सी.

/

360; एस. राजन बनाम केरल राज्य, (1992) 3 एससीसी 608; भारतीय

ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स बनाम इंडो-स्विस सिंथेटिक्स जर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, (1996) 1 एस. सी. सी. 54; भारत संघ बनाम एम. पी. गुप्ता, (2004) 10 एस. सी. सी. 504; ऐस पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट प्रा. लिमिटेड वी.भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2007) 5 एस. सी. सी. 304)

कि सरकारी अनुबंधों में मध्यस्थता समझौते जो विभाग के एक सेवारत कर्मचारी द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान करते हैं, वैध और लागू करने योग्य हैं।जबकि सुप्रीम न्यायालय इंडियन ऑयल कार्पोरेशन में।लिमिटेड वी.राजा ट्रांसपोर्ट (पी) लिमिटेड, (2009) 8 एस. सी. सी. 520 ने उन स्थितियों में एक मामूली अपवाद बनाया जब मध्यस्थ

/

“विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार करने वाला प्राधिकारी था या यदि वह उस अधिकारी का प्रत्यक्ष अधीनस्थ (जैसा कि किसी अन्य विभाग में निम्न श्रेणी के अधिकारी के विपरीत) है जिसका निर्णय विवाद का विषय है "(एस. सी. सी. पृष्ठ 533, पैरा 34) और इस अपवाद का उपयोग विषय अनुबंध के संबंध में नियंत्रण या व्यवहार करने वाले प्राधिकारी द्वारा किया गया था।

/

सुप्रीम न्यायालय ने डेनेल (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनामभारत सरकार,

/

रक्षा मंत्रालय, (2012) 2 एससीसी 759:ए. आई. आर. 2012 एससी

817 और बाइप्रोमाज़ बाइप्रोन ट्रेडिंग एसए बनाम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स

लिमिटेड, (2012) 6 एस. सी. सी. 384, धारा 11 के अंतर्गत एक स्वतंत्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है।

57. प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और इन अनुबंधों की बाध्यकारी प्रकृति के बीच संतुलन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाद वाले के पक्ष में झुका हुआ प्रतीत होता है, और आयोग का मानना है कि विधि की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है।चूँकि निष्पक्षता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, विशेष रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह कहना असंगत होगा कि ए

/

/

413

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

कि इन सिद्धांतों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए पार्टी की स्वायत्तता का प्रयोग किया जा सकता है-भले ही पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों से पहले इस पर सहमति हो गई हो। स्वतंत्रता और निष्पक्षता के कुछ न्यूनतम स्तर हैं जो पक्षों के स्पष्ट समझौते की परवाह किए बिना मध्यस्थता प्रक्रिया के लिए आवश्यक होने चाहिए।उदाहरण के लिए, एक विवेकपूर्ण विधि एक ऐसे मध्यस्थ की नियुक्ति की अनुमति नहीं दे सकता है जो स्वयं विवाद का एक पक्ष है, या जो एक पक्ष द्वारा नियोजित (या इसी तरह निर्भर) है, भले ही पक्षकार इस पर सहमत हों।आयोग ने जल्दबाजी में यह जोड़ा कि विधि आयोग के पदेन सदस्य श्री पी. के. मल्होत्रा ने राज्य के

लिए एक अपवाद रखने का सुझाव दिया और राज्य पक्षों को कर्मचारी मध्यस्थों की नियुक्ति करने की अनुमति दी।आयोग की राय है कि इस मुद्दे पर राज्य और गैर-राज्य दलों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।पार्टी की स्वायत्तता की अवधारणा को उस बिंदु तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जहां यह विवादों के समाधान के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायकों के होने के आधार को नकारता है।वास्तव में, जब एक न्यायनिर्णायक नियुक्त करने वाला पक्ष राज्य होता है, तो एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायनिर्णायक नियुक्त करने का कर्तव्य बहुत अधिक कठिन होता है-और प्राकृतिक न्याय के अधिकार को केवल अनुबंध के समय और विवाद उत्पन्न होने से पहले पक्षों के बीच "पूर्व" समझौते के आधार पर माफ नहीं किया जा सकता है।

/

/

/

/

58. मध्यस्थों की तटस्थता के इस मौलिक मुद्दे को संबोधित करने के लिए बड़े पैमाने पर संशोधन का सुझाव दिया गया है, जो आयोग का मानना है कि भारत में मध्यस्थता प्रक्रिया के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है।विशेष रूप से अधिनियम की धारा 11,12 और 14 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है।

/

59. आयोग ने मध्यस्थ द्वारा अपनी * संभावित * नियुक्ति के स्तर पर, किसी भी संबंध या किसी भी प्रकार के हित के अस्तित्व के बारे में विशिष्ट प्रकटीकरण की आवश्यकता का प्रस्ताव किया है, जिससे उचित संदेह पैदा होने की संभावना है।आयोग ने चौथी अनुसूची को शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में हितों के टकराव पर आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल और नारंगी सूचियों से ली गई है, और जिसे यह निर्धारित करने के लिए एक "मार्गदर्शक" के रूप में माना जाएगा कि क्या ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो इस तरह के न्यायोचित संदेह को जन्म देती हैं।दूसरी ओर, अधिनियम की प्रस्तावित धारा 12 (5) और पांचवीं अनुसूची के संदर्भ में जिसमें श्रेणियां शामिल हैं -

/

/

आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल सूची (उपरोक्त) में, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रस्तावित व्यक्ति, इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, इस तरह से नियुक्त होने के लिए * अयोग्य * होगा।यदि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाना अपेक्षित है, तो वह धारा 14 के प्रस्तावित स्पष्टीकरण के संदर्भ में अपने कार्यों को करने में असमर्थ समझा जाएगा।इसलिए, जबकि श्रेणियों की एक व्यापक सूची (जैसा कि चौथी अनुसूची में निर्धारित किया गया है, और आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल और नारंगी सूचियों के आधार पर) के संबंध में * प्रकटीकरण * आवश्यक है, एक मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए * अयोग्यता * (और इसके परिणामस्वरूप ऐसा करने में कानूनी रूप से असमर्थता) स्थितियों के एक छोटे और अधिक गंभीर उप-समूह (जैसा कि पांचवीं अनुसूची में निर्धारित किया गया है, और आई. बी. ए. दिशानिर्देशों की लाल सूची के आधार पर) का अनुसरण करती है।

/

/

60. आयोग, हालांकि, महसूस करता है कि पार्टी की वास्तविक और वास्तविक स्वायत्तता का सम्मान किया जाना चाहिए, और कुछ स्थितियों में, पार्टियों को प्रस्तावित पांचवीं अनुसूची में निर्धारित अयोग्यता की श्रेणियों को भी माफ करने की अनुज्ञात जानी चाहिए।यह पारिवारिक मध्यस्थता या अन्य मध्यस्थता की स्थितियों में हो सकता है जहां एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में वस्तुनिष्ठ "उचित संदेह" के अस्तित्व के बावजूद, विवाद के पक्षों के अंधे विश्वास और विश्वास का आदेश देता है।ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए, आयोग ने धारा 12 (5) के लिए परंतुक का प्रस्ताव किया है, जहां पक्षकार, अपने बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा प्रस्तावित धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।अन्य सभी मामलों में, प्रस्तावित धारा 12 (5) में सामान्य नियम का पालन किया जाना चाहिए।यदि मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में उच्च न्यायालय से संपर्क किया जाता है, तो आयोग ने धारा 12 (1) के संदर्भ में प्रकटीकरण की मांग करने का प्रस्ताव किया है और किस संदर्भ में उच्च न्यायालय या नामित व्यक्ति को मध्यस्थ की नियुक्ति में इस तरह के प्रकटीकरण की सामग्री को "उचित सम्मान" देना है। "

/

/

/

(जोर दिया गया) 17.हम यहाँ स्पष्टीकरण का एक नोट रख सकते हैं।यद्यपि विधि आयोग ने "मध्यस्थों की तटस्थता" शीर्षक के अंतर्गत उपरोक्त पहलू पर चर्चा की, लेकिन चर्चा का केंद्र मध्यस्थों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर था जिसका किसी एक पक्ष के प्रति संबंध या पक्षपात है।अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के क्षेत्र में, तटस्थता आम तौर पर ए से संबंधित होती है।

/

/

415

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मध्यस्थ की राष्ट्रीयता।अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, "तटस्थता की उपस्थिति" को समान रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसका अर्थ है कि एक मध्यस्थ तटस्थ है यदि उसकी राष्ट्रीयता पक्षों से अलग है।हालाँकि, यह वह पहलू नहीं है जिस पर विचार किया जा रहा है और उपयोग किया जाने वाला "तटस्थता" शब्द किसी भी पक्ष के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना मध्यस्थों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से संबंधित है।वास्तव में, "मध्यस्थों की तटस्थता" शब्द का उपयोग आमतौर पर इस संदर्भ में भी किया जाता है।

/

18. विधि आयोग की पूर्व उद्धृत सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, जिसके साथ धारा 12 को संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है, यह स्पष्ट है कि प्रावधान में संशोधन का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों की तटस्थता का प्रावधान करना था।इसे प्राप्त करने के लिए, धारा 12 की उप-धारा (5) अंतर्गत कहा गया है कि इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद की विषय वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची अंतर्गत निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, वह मध्यस्थ के रूप अंतर्गत नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगा।ऐसी स्थिति में जब मध्यस्थता खंड को ऊपर निकाले गए संशोधित प्रावधानों के साथ गड़बड़ी मिलती है, तो मध्यस्थ की नियुक्ति मध्यस्थता समझौते के दायरे से बाहर होगी, जिससे न्यायालय को ऐसे मध्यस्थ (ओं) की नियुक्ति करने का अधिकार होगा जो अनुमेय हो।यह धारा 12 की उप-धारा (5) में निहित अबाधित खंड का प्रभाव होगा और दूसरा पक्ष मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति पर जोर नहीं दे सकता है। "

/

/

/

/

15. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में,

यह देखा गया है कि सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि मध्यस्थ सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट श्रेणियों में से किसी एक में आता है,

तो वह मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए 'अयोग्य' हो जाता है।यह आगे देखा गया है कि एक बार जब वह 'अयोग्य' हो जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह तब अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि विधि में उसे 'अयोग्य' माना जाता है।उक्त निर्णय में यह भी कहा गया है कि जहां कोई व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो जाता है, ऐसे मामले में ऐसे मध्यस्थ के समक्ष ऐसे मध्यस्थ को चुनौती देने का कोई प्रश्न ही नहीं है, यानी ऐसा मामला जो धारा 14 (1) (ए) के अंतर्गत आता है।

/

/

अधिनियम इस प्रकार आकर्षित होता है कि जैसे ही मध्यस्थ, विधि के मामले के रूप में (यानी, न्यायिक रूप से), धारा 12 (5) के अंतर्गत अपने कार्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, वह मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हो जाता है और ऐसा होने पर, उसका अधिदेश स्वचालित रूप से समाप्त हो जाता है, और फिर उसे किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। "

8.1 उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने इस दलील को भी नकार दिया कि चूंकि ठेकेदार ने मध्यस्थ के समक्ष मध्यस्थता की कार्यवाही में भाग लिया था, इसलिए बाद में, उसे मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 11 के अंतर्गत नए मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए था।भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बनाम यूनाइटेड के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करने के बाद

/

/

टेलीकॉम लिमिटेड, (2019) 5 एस. सी. सी. 755 में सूचित, यह देखा गया है और

पैराग्राफ 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:“20. अब जहाँ तक याचिकाकर्ताओं की ओर से यह निवेदन कि प्रतिवादियों ने एकमात्र मध्यस्थ-अध्यक्ष के समक्ष मध्यस्थता कार्यवाही में भाग लिया था और इसलिए उन्हें धारा 11 के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए था, उसमें भी कोई सार नहीं है।जैसा कि इस न्यायालय द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में अभिनिर्धारित किया

गया है कि धारा 12 (5) परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लिखित रूप में एक 'स्पष्ट समझौता' होना चाहिए।पैराग्राफ 15 और 20 में इसे निम्नानुसार देखा और माना गया हैः

/

/

“15. दूसरी ओर, धारा 12 (5) एक नया प्रावधान है जो मध्यस्थ की न्यायिक अक्षमता से संबंधित है।इस प्रावधान अंतर्गत इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते को धारा 12 (5) में गैर-अस्थाई खंड द्वारा उस समय मिटा दिया जाता है जब कोई भी व्यक्ति जिसका पक्षकारों या वकील या विवाद की विषय वस्तु के साथ संबंध सातवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है।उप-धारा तब घोषणा करती है कि ऐसा व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए "अयोग्य" होगा।इस अयोग्यता को हटाने का एकमात्र तरीका परंतुक है, जो फिर से एक विशेष प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि पक्षकार, उनके बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा धारा 12 (5) की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।अतः जो बात स्पष्ट है वह यह है कि जहां पक्षकारों के बीच किसी समझौते के अंतर्गत कोई व्यक्ति सातवीं अनुसूची में निर्धारित किसी भी श्रेणी में आता है, वह विधि के मामले में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है।द ए.

/

/

/

इस अयोग्यता को हटाने का एकमात्र तरीका, फिर से, विधि ी रूप से, यह है कि पक्षकार अपने बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद, "लिखित रूप में स्पष्ट समझौते" द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।जाहिर है, "लिखित में स्पष्ट समझौते" में एक ऐसे व्यक्ति का संदर्भ है जिसे सातवीं अनुसूची द्वारा बाधित किया गया है, लेकिन जिसे पक्षों द्वारा (उनके बीच विवाद उत्पन्न होने के बाद) एक ऐसा व्यक्ति कहा गया है जिसमें उन्हें विश्वास है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा व्यक्ति सातवीं अनुसूची द्वारा बाधित है।

/

XXX XXX XXX

20. यह तब हमें इस मामले के तथ्यों पर धारा 12 (5) के परंतुक की प्रयोज्यता पर लाता है। अधिनियम की धारा 4 के विपरीत, जो आचरण द्वारा आपत्ति करने के अधिकार की मानित छूट

से संबंधित है, धारा 12 (5) का परंतुक केवल तभी लागू होगा जब पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के बाद, पक्षकार लिखित रूप में एक स्पष्ट समझौते द्वारा धारा 12 की उप-धारा (5) की प्रयोज्यता को माफ कर देंगे।इस कारण से, अधिनियम की धारा 7 के सादृश्य पर आधारित तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए।धारा 7 मध्यस्थता समझौतों से संबंधित है जो लिखित रूप में होने चाहिए, और फिर बताती है कि ऐसे समझौते दस्तावेजों में निहित हो सकते हैं जो ऐसे समझौतों का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं।दूसरी ओर, धारा 12 (5) "लिखित रूप में स्पष्ट समझौते" को संदर्भित करती है।अभिव्यक्ति "लिखित रूप में समझौता व्यक्त करें" एक समझौते के विपरीत शब्दों में किए गए समझौते को संदर्भित करता है जिसका अनुमान आचरण द्वारा लगाया जाना है।यहाँ, भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 9 महत्वपूर्ण हो जाती है।इसमें कहा गया हैः

/

/

/

“9. वादे, व्यक्त और निहित।—जहाँ तक किसी वादे का प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों में की जाती है, वचन को अभिव्यक्त कहा जाता है।जहाँ तक ऐसा प्रस्ताव या स्वीकृति शब्दों के अलावा अन्य रूप में की जाती है, वचन को निहित कहा जाता है।” इसलिए यह आवश्यक है कि लिखित रूप में एक "स्पष्ट" समझौता हो।

/

/

यह समझौता एक ऐसा समझौता होना चाहिए जिसके द्वारा दोनों पक्ष, इस तथ्य की पूरी जानकारी के साथ कि श्री खान मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस पर पूरा विश्वास और विश्वास है।वर्तमान मामले के तथ्य इस तरह के किसी स्पष्ट समझौते का खुलासा नहीं करते हैं।द.

/

नियुक्ति पत्र जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों पर एक स्पष्ट समझौते का संकेत देने के रूप में भरोसा किया जाता है, दिनांकित 17.01.2017 है।इस तिथि पर, अपीलार्थी के प्रबंध निदेशक को निश्चित रूप से इस बात की जानकारी नहीं थी कि श्री खान को उनके द्वारा

नियुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) केवल एक मध्यस्थ के रूप में स्वयं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति की अयोग्यता के लिए जाती है।श्री खान की अवैध नियुक्ति केवल टी. आर. एफ. लिमिटेड (उपरोक्त) में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि की घोषणा के बाद स्पष्ट हुई, जो, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, केवल 03.07.2017 पर थी। इस तारीख के बाद, श्री खान की नियुक्ति की वैधता के बारे में पक्षों के बीच एक स्पष्ट समझौता होने के बावजूद, अपीलकर्ता ने एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष 07.10.2017 पर एक आवेदन दायर किया, जिसमें मध्यस्थ का ध्यान टी. आर. एफ. लिमिटेड (ऊपर) में निर्णय की ओर आकर्षित किया गया और उसे यह घोषित करने के लिए कहा गया कि वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने में न्यायिक रूप से असमर्थ हो गया है।समान रूप से, यह तथ्य कि मध्यस्थ के समक्ष दावे का बयान दायर किया गया हो सकता है, इसका मतलब यह नहीं होगा कि शब्दों में एक स्पष्ट समझौता है जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि श्री खान इस तरह से कार्य करने के लिए अयोग्य होने के बावजूद मध्यस्थ के रूप में बने रहें।यह मामला होने के कारण, आक्षेपित निर्णय सही नहीं है जब यह वर्तमान मामले के तथ्यों पर अधिनियम की धारा 4, धारा 7, धारा 12 (4), धारा 13 (2) और धारा 16 (2) को लागू करता है, और यह कहता है कि अपीलार्थी को मध्यस्थ की पात्रता का मुद्दा उठाने की अनुज्ञात नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह स्वयं मध्यस्थ नियुक्त करता है।अपील के अंतर्गत निर्णय यह कहने में भी सही है कि इस तथ्य से लिखित रूप में एक स्पष्ट छूट है कि अपीलार्थी द्वारा एक नियुक्ति पत्र जारी किया गया है, और प्रतिवादी द्वारा मध्यस्थ के समक्ष दावे का बयान दायर किया गया है।जिस क्षण अपीलार्थी को पता चला कि श्री खान की नियुक्ति ही अमान्य होगी, उसने अपने आदेश को समाप्त करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष एक आवेदन दायर किया। "

/

/

/

/

/

9. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश टी. आर. एफ. (उपरोक्त), भारत के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के विपरीत है।

/

ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (उपरोक्त) और जयपुर जिला दुध उत्पादक सहकारी संघ के मामले में इस न्यायालय का हालिया निर्णय

सीमित (ऊपर)।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पूर्ववर्ती मध्यस्थ न्यायाधिकरण-लेखन सामग्री खरीद समिति जिसमें अतिरिक्त सचिव, राजस्व विभाग अध्यक्ष के रूप में और (i) उप सचिव, राजस्व विभाग शामिल हैं।

/

419

एलोरा पेपर मिल्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य [एम. आर. शाह, जे.]

राजस्व, (ii) उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (iii) उप सचिव, वित्त विभाग, (iv) उप सचिव/अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और (v) मुख्य कार्यालय के वरिष्ठ उप नियंत्रक, सदस्यों के रूप में मुद्रण, ने सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 (5) को देखते हुए विधि के संचालन द्वारा अपना अधिदेश खो दिया है और मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी है।इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश अस्थिर है और रद्द किए जाने और खारिज किए जाने के योग्य है।

/

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा एसी सं. 100/2019 में पारित दिनांक 27.08.2021 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और खारिज कर दिया जाता है और अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एसी सं. 100/2019 आवेदन को इसके द्वारा अनुज्ञात जाती है।यह घोषित किया जाता है कि पूर्ववर्ती मध्यस्थ न्यायाधिकरण-लेखन सामग्री खरीद समिति जिसमें राजस्व विभाग के अतिरिक्त सचिव अध्यक्ष के रूप में और (i) राजस्व विभाग के उप सचिव, (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव, (iii) वित्त विभाग के उप सचिव, (iv) सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव/अवर सचिव और (v) मुख्य कार्यालय के वरिष्ठ उप नियंत्रक, मुद्रण सदस्य के रूप में मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की सातवीं अनुसूची के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (5) को देखते हुए मध्यस्थ के रूप में कार्य करने/बने रहने के लिए अयोग्य हैं और इसलिए मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत एक नए मध्यस्थ को पक्षकारों के बीच विवाद का निर्णय लेने और उसे हल करने के लिए नियुक्त किया जाना है।11. मध्यस्थ को नामित करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के बजाय, हम इस न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे को पक्षों के बीच विवाद पर निर्णय लेने/हल करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।हम आशा और विश्वास करते हैं कि विद्वान मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करेगा और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि पक्षों के बीच विवाद वर्ष 2000 से लंबित है, जल्द से जल्द निर्णय की घोषणा करेगा।दोनों पक्ष आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, पहली बार में, विद्वान मध्यस्थ के समक्ष पेश होंगे।इस निर्णय की

एक प्रति नव नियुक्त मध्यस्थ को भेजी जाएगी।12. तदनुसार वर्तमान अपील की अनुज्ञात है। यद्यपि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

/

/

/

/

/

देविका गुजराल और अमरेंद्र कुमार

अपील अनुज्ञात ।

/

(सहायकः इराम जान, एलसीआरए)